लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/60/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः— 09.07.2019

श्री बाबूलाल टेलर निवासी ए—101, से. नं. 05, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 30.07.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.05.2019 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 60/2019/(30.07)/286 दिनांक 12.07.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 30.07.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 30.07.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 60 / 2019 (सू.अ.)
श्री बाबूलाल टेलर निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2018 / 103 दिनांक 19.07.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो कि इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री बाबूलाल टेलर निवासी ए–101 सेक्टर नं. 05, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 17.06.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध कोषाधिकारी, कोष कार्यालय चित्तौड़गढ़ से होने से इस कार्यालय के पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2019 / 2189 दिनांक 21.06.2019 से प्रार्थी प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 सहधारा 3 के तहत नियत समय में कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरण कर दिया है जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक / कोष / चि / आरटीआई / 2019 / 879 दिनांक 26.06.2019 से प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराते हुए सूचना की प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित की है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2018 / 103 दिनांक 19.07.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 14.06.2019 को प्रस्तुत करना तथा कार्यालय में दिनांक 21.06.2019

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

को प्राप्त होना बताया है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्नकों में उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 14.05.2019 को आवेदन रजिस्टर्ड ड़ाक के माध्यम से प्रेषित किया है जिसकी रजिस्ट्री की रसीद की छायाप्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना अधिकारी का कथन की अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 14.06.2019 को प्रस्तुत किया है मानने योग्य नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी का आवेदन एक माह की अवधि व्यतीत होने के बाद अपने पत्रांक 2189 दिनांक 21.06.2019 से धारा 6(3) के तहत कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया है, जबकि कोष कार्यालय के लिए अलग से लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं होकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा ही कोष कार्यालय से संबंधित सूचनाऐं आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रार्थीगण को उपलब्ध कराई जाती है।

लोक सूचना अधिकारी ने अपने कमेन्ट्स में कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 879 दिनांक 26.06.2019 से उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराने का कथन किया है जबकि कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 879 दिनांक 26.06.19 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि कोषाधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) से उक्त पत्र के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है ना की उक्त पत्र से अपीलार्थी को सूचित किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जाने का प्रावधान है। इसके लिये आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर सूचना प्राप्त कर, आवेदक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी की बनती है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 60 / 2019 (सू.अ.)
श्री बाबूलाल टेलर निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं की वह कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 60 / 2019(सू.अ.) / 314 दिनांकः– 30 / 07 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री बाबूलाल टेलर निवासी ए–101, सेक्टर नम्बर 05, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)